राजस्थान विधियां (विस्तारण) अधिनियम, 1957

(1957 का अधिनियम सं. 27)

(राष्ट्रपति की अनुमति 29 जुलाई, 1957 को प्राप्त हुई)

आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में कतिपय राजस्थान विधियों के विस्तारण हेतु उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

यतः राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा यथानिर्मित राजस्थान राज्य में विधियों की एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, पुनर्गठन-पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवृत्त कतिपय राजस्थान विधियों के, नये राज्य के आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में विस्तारण के लिये उपबन्ध करना और उस प्रयोजन के लिये उक्त राजस्थान विधियों में समुचित उपान्तरण करना समीचीन है;

अतः भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (विस्तारण) अधिनियम, 1957 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

2. **परिभाषाएं:-** जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में और अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधियों में,-

(i) "आबू-क्षेत्र" से बम्बई राज्य के बनासकांठा जिले के आबू रोड़ तालुके में समाविष्ट राज्य क्षेत्र, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व विद्यमान था, अभिप्रेत है;

(ii) "अजमेर-क्षेत्र" से अजमेर राज्य का क्षेत्र, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व विद्यमान था, अभिप्रेत है;

(iii) राजस्थान राज्य के प्रति निर्देश से प्रयुक्त "पुनर्गठन-पूर्व" से राजस्थान राज्य, जैसा कि वह प्रसंविदा के अनुसार या संविधान के अधीन 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व विद्यमान था, अभिप्रेत है;

(iv) "राज्य" या "राजस्थान राज्य" से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा यथानिर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(v) "सुनेल क्षेत्र" से मध्य भारत राज्य के मन्दसौर जिले की भानुपुरा तहसील के सुनेल टप्पा में समाविष्ट राज्य क्षेत्र, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व विद्यमान था, अभिप्रेत है ।

3. **कतिपय राजस्थान-विधियों का संशोधन और विस्तारण.-** इस अधिनियम के प्रवृत्त होने को तारीख को, और से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधियां धारा 4 में विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक संशोधित हो जायेगा और इस प्रकार संशोधित अनुसूची का विस्तार आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

4. **अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधियों में साधारण स्वरूप के उपान्तरण.-** जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधियों में शुरू से अन्त तक,-

(i) जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "Rajasthan Gazette" या "राजस्थान राजपत्र" प्रयुक्त हुई हो, उसके स्थान पर शब्द "Official Gazette" या "सरकारी राजपत्र" यथास्थिति, प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(ii) जहां कहीं भी शब्द "Rajasthan" या "राजस्थान" संक्षिप्त नाम में से अन्यथा या अभिव्यक्ति "Rajasthan Gazette" या "राजस्थान राजपत्र"

में से अन्यथा प्रयुक्त हुआ हो, उसके स्थान पर शब्द "The State of Rajasthan" या "राजस्थान राज्य" यथास्थिति, प्रतिस्थापित किये जायेंगे, और

(iii) जहां कहीं भी शब्द "सरकार" प्रयुक्त हुआ हो, उसके स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

5. **अन्य विधियों के प्रति निर्देश.-** अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी राजस्थान विधियों में किसी विधि के, जो कि आबू, अजमेर या सुनेल क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है। प्रति निर्देश का अर्थ, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, उसमें प्रवृत्त किसी तत्समान विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।

6. **प्राधिकारियों के प्रति निर्देश.-** आबू, अजमेर या सुनेल क्षेत्र में प्रवृत्त किसी भी विधि में, ऐसे किसी भी क्षेत्र में किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी के प्रति किन्हीं भी शब्दों में कोई निर्देश, जहां अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी राजस्थान विधियों के द्वारा या अधीन कोई तत्समान नया प्राधिकारी बनाया गया हो, इस तरह प्रभाव रखेगा मानो उस वह नये प्राधिकारी के प्रति निर्देश हो।

7. **निरसन और व्यावृत्ति.-** इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व आबू क्षेत्र या अजमेर क्षेत्र या सुनेल क्षेत्र में प्रवृत्त, अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधियों से तत्समान कोई विधि निरसित हो जायेगी:

परन्तु ऐसी किसी विधि के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुसंगत राजस्थान विधि के तत्समान उपबन्ध के अधीन की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार प्रवृत्त बनी रहेगी ।

8. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी राजस्थान विधियों के उपबंधों को आबू, अजमेर या सुनेल क्षेत्र में प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई आये तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित

आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे उस कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

9. **निर्वचन.-** पुनर्गठन-पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनिय 8) के उपबन्ध, जब तक कि उक्त अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में न कर दिया जाये तब तक, और यावत्शक्य, इस अधिनियम पर और अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

अनुसूची

(1) राजस्थान परिसर (अधिग्रहण तथा बेदखली) अध्यादेश, 1949 (1949 का अध्यादेश संख्या 11)
धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-
"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"
धारा 2-खण्ड (ग) लोपित कीजिए।

(2) राजस्थान नाटक तथा मनोरंजन कार्यक्रम अध्यादेश, 1949 (1949 का अध्यादेश संख्या 29)
धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-
"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"
धारा 2-खण्ड (ii) लोपित कीजिए।
धारा 7-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए ।
धारा 9-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए ।
धारा 14-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।
धारा15-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(3) राजस्थान औषधि द्रव्य (नियंत्रण) अध्यादेश, 1949 (1949 का अध्यादेश 31)
धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-
"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"
धारा 2-उप-धारा (1) का खण्ड (ङ) लोपित कीजिए ।
धारा 16-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए ।
धारा 21-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(4) राजस्थान विस्थापित व्यक्तियों का पुनःस्थापन (भूमि अर्जन) अध्यादेश, 1949 (1949 का अध्यादेश सं. 33)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:- "(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खण्ड (ग) लोपित कीजिए ।

धारा 7--उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में शब्दों "सम्पूर्ण राजस्थान या उसके किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त, अनिवार्य अर्जन से संबंधित कोई भी विधि" के स्थान पर "राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 24)" प्रतिस्थापित कीजिए ।

धारा 15-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 16-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(5) राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश, 1949 (1949 का अध्यादेश संख्या 48)

धारा 1-उप-धारा (2) में शब्दों "सम्पूर्ण राजस्थान" के स्थान पर "सम्पूर्ण राजस्थान राज्य" प्रतिस्थापित कीजिए ।

धारा 2-खण्ड (1) लोपित कीजिए ।

धारा 10-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए ।

धारा 17-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए ।

धारा 18-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 19-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(6) राजस्थान (पंचम-परिवर्जन) अध्यादेश,1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 3)

उद्देशिका "राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए।

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 5-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(7) राजस्थान कतिपय पशु परिरक्षण अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम संख्या 4)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 6-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(8) राजस्थान किशोर-धूम्रपान निवारण अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम संख्या 6)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।"

धारा 2-खण्ड (iii) लोपित कीजिए।

धारा 5-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए ।

धारा 6-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 7-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(9) राजस्थान अफीम धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 7)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 12-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित" लोपित कीजिए ।

धारा 21-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(10) राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 12)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-(i) उप-धारा (1) में खण्ड (2) लोपित कीजिए ।

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"केन्द्रीय विधानमण्डल के पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रति इस अधिनियम के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य के लिए यथानुकूलित उस अधिनियम के प्रतिनिदश है ।"

(11) राजस्थान पुनर्वास उधार अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 5)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खण्ड (घ) लोपित कीजिए ।

धारा 8-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 9-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(12) राजस्थान त्यक्त पदार्थ (खाद में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 6)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खण्ड (1) लोपित कीजिए ।

धारा 6-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(13) राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम 11)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खण्ड (क) लोपित कीजिए ।

धारा 23-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 24-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(14) राजस्थान वन्य पशु तथा पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 13)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खण्ड (i) लोपित कीजिए ।

धारा 13-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 14-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(15) राजस्थान कृषि नाशिकीट तथा रोग अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 26)

धारा 2-उप-धारा (1) का खण्ड (i) लोपित कीजिए ।

उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

(16) राजस्थान भूमि अधिग्रहण (कृषि सुधार) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 29)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खण्ड (2) लोपित कीजिए ।

धारा 9-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित या प्रसारित" लोपित कीजिए ।

धारा 10-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित या प्रसारित" लोपित कीजिए।

धारा 16-"राजस्थान के लिए यथानुकूलित या प्रसारित" लोपित कीजिए।

धारा 18-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(17) राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या 5)

धारा 10-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खण्ड (3) लोपित कीजिए ।

धारा 23-ख-खण्ड (ग) में "राजस्थान राजस्व बोर्ड अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश 26) के अधीन" के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा" प्रतिस्थापित कीजिए ।

धारा 31-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(18) राजस्थान प्रभावित क्षेत्र (कार्यवाहियों का निलम्बन) अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या 21)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-उप-धारा (1) का खण्ड (छ) तथा सम्पूर्ण उप-धारा उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

(19) राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 30)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-उप-धारा (1) का खण्ड (घ) तथा सम्पूर्ण उप-धारा उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

धारा 12-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(20) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 4)

धारा 2-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(क) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 3-खण्ड (ट) लोपित कीजिए ।

धारा 4-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 5-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 73-"संयुक्त" लोपित कीजिए ।

अनुसूची-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(21) राजस्थान आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 9)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

धारा 15-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(22) राजस्थान लघु सिंचाई संकर्म अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं.12)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।"

धारा 2-खण्ड (4) लोपित कीजिए ।

धारा 50-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(23) राजस्थान वन अधिनियम अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 13)

धारा 1-उप-धारा (2) में शब्दों "सम्पूर्ण राजस्थान" के स्थान पर "सम्पूर्ण राजस्थान राज्य" प्रतिस्थापित कीजिए ।

धारा 2-खण्ड (5) लोपित कीजिए ।

धारा 37-"अनिवार्य भू-प्राप्ति संबंधी उस समय प्रभावशील कानून" के स्थान पर "राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 24)" प्रतिस्थापित कीजिए ।

धारा 84-"भूमि की अनिवार्य प्राप्ति के संबंध में उस समय प्रभावशाली कानून" के स्थान पर "राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 24)" प्रतिस्थापित कीजिए ।

धारा 88-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 89-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

अनुसूची-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(24) राजस्थान निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अनुपूरक अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 15)

धारा 3-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(25) राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 16)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-उप-धारा (1) का खण्ड (vii) तथा सम्पूर्ण उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

धारा 14-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(26) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 18)

कोई विनिर्दिष्ट संशोधन नहीं किया गया है ।

(27) राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 19)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-खंड (viii) और (ix) लोपित कीजिए ।

धारा 27-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(28) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 21)

धारा 1-उप-धारा (2) में शब्द "सम्पूर्ण राजस्थान" के स्थान पर "सम्पूर्ण राजस्थान राज्य" प्रतिस्थापित कीजिए ।

धारा 2-खंड (ii) लोपित कीजिए ।

(29) राजस्थान कृषि आयकर अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 23)

धारा 2-खंड (23) और (24) लोपित कीजिए ।

धारा 91-सम्पूर्ण लोपित कोजिए ।

(30) राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 24)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 3-(i) खंड (ज) में "जैसा कि राजस्थान में अन्तर्ग्रहित और प्रसारित किया गया है" लोपित कीजिए ।

(ii) खंड (i) लोपित कीजिए ।

धारा 56-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(31) राजस्थान भूमि विशेष सिचाई प्रभार अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 25)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-उप-धारा (1) का खंड (ix) तथा सम्पूर्ण उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

(32) राजस्थान प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 27)

धारा 2-खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(क) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 17-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(33) राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 6)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

(34) राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 18)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 2-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 3-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 4-(1) खंड (i) में "राजस्थान राजस्व बोर्ड अध्यादेश, 1949" के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त विधि" प्रतिस्थापित कीजिए ।

(2) खंड (iii) लोपित कीजिए ।

(35) राजस्थान बाट और माप अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 19)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 3-सम्पूर्ण लोपित कोजिए ।

धारा 45-सम्पूर्ण लोपित कोजिए ।

(36) राजस्थान सिचाई जल निकास अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 21)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 3-उप-धारा (2) लोपित कीजिए ।

(37) राजस्थान कृषि भूमि उपयोग अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 22)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 10-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(38) राजस्थान जोत (समेकन और खण्डकरण निवारण) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 24)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 30-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(39) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 27)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

धारा 30-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(40) राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 27)

धारा 2-निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

“2 प्रसार-इस अधिनियम का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।"

धारा 17-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 18-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(41) राजस्थान विष अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 2)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।"

धारा 2-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 10-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(42) राजस्थान बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 12)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिएः-

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।"

धारा 9-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

(43) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम संख्या 21)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

(44) राजस्थान राजगामित्व विनियमन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 23)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।"

धारा 2-खंड (5) लोपित कीजिए ।

धारा 15-संपूर्ण लोपित कीजिए ।

(45) राजस्थान खनन बस्ती अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 33)

धारा 1-उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कोजिए:-

"(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।"

(46) राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 38)

धारा 41-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

धारा 42-सम्पूर्ण लोपित कीजिए ।

स्वरूप राज भंसाली,

विधि सचिव ।